

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2015/7262-79 जयपुर, दिनांक 4.6.15  
जिला कलेक्टर, (सहायता)  
जैसलमेर एवं बाड़मेर (रोजो)।

विषय:- अभाव संवत् 2071 में खर्चीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 4616 दिनांक 28.04.2015 एवं 5716 दिनांक 25.5.2015 (जैसलमेर) तथा 2230 दिनांक 2.6.15 (बाड़मेर) के क्रम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ/सामान्य / 2014/10908-44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव सम्बत् 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वीकृत पशु शिविर जिनकी अवधि राज्य आपदा मोचन निधि में अनुमत 90 दिवस पूर्ण कर ली गई है, उन पशुशिविरों के पशुओं हेतु 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक 28.4.15 एवं 25.5.15 (जैसलमेर) तथा 2230 (बाड़मेर) के आधार पर दी जा रही है। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (स्पेशन आफ प्रोसिडिंग्स) एकट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु जारी दिनांक से 30 जून, 2015 तक पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :—

जिला— जैसलमेर

क्र.	तहसील	ग्राम पंचायत	संचालक संस्था का नाम	पशुशिविर स्थल	पशु संख्या		
					बड़े	छोटे	योग
1	फलेहगढ़	सांगड़	सरपंच, ग्राम पंचायत सांगड़	गणपतदान की ढाणी सांगड़	140	10	150
2	पौकरण	टावरी वाला	ग्राम सेवा सहकारी समिति, टावरीवाला	पुराना खारा	180	20	200
3	पौकरण	टावरी वाला	ग्राम सेवा सहकारी समिति, टावरीवाला	पना	180	20	200
4	पौकरण	मोडरडी	सरपंच, ग्राम पंचायत मोडरडी	नानणियाई	180	20	200
5	पौकरण	मोडरडी	सरपंच, ग्राम पंचायत मोडरडी	मोडरडी	180	20	200
				योग :-	860	90	950
6	गडारोड	रोहिडाला	सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिडाला	रामदेव नगर	200	0	200

7	गडरारोड	रोहिडाला	सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिडाला	बालाकर	100	0	100
8	गडरारोड	रोहिडाला	सरपंच, ग्राम पंचायत रोहिडाला	रामडोकर	100	0	100
9	गडरारोड	रेडाना	सरपंच, ग्राम पंचायत रेडाना	माझोली	100	0	100
10	गडरारोड	रेडाना	सरपंच, ग्राम पंचायत रेडाना	सदाणियां भीलों की बस्ती	100	0	100
11	गडरारोड	जैसिन्दर स्टेशन	सरपंच, ग्राम पंचायत जैसिन्दर स्टेशन	केरकोरी	100	0	100
12	गडरारोड	जैसिन्दर स्टेशन	सरपंच, ग्राम पंचायत जैसिन्दर स्टेशन	दानपुरा	100	0	100
13	गडरारोड	जैसिन्दर स्टेशन	सरपंच, ग्राम पंचायत जैसिन्दर स्टेशन	खीयाणी	100	0	100
14	गडरारोड	बीजावल	सरपंच, ग्राम पंचायत बीजावल	फागली	100	0	100
15	गडरारोड	बीजावल	सरपंच, ग्राम पंचायत बीजावल	रासलाणी	100	0	100
16	गडरारोड	जैसिन्दर गांव	सरपंच, ग्राम पंचायत जैसिन्दर गांव	सुथारों का पार	200	0	200
17	गडरारोड	जैसिन्दर गांव	सरपंच, ग्राम पंचायत जैसिन्दर गांव	छोटी खडियन	200	0	200
18	गडरारोड	हरसाणी	सरपंच, ग्राम पंचायत हरसाणी	धनदेपुरा	200	0	200
19	गडरारोड	खलीफे की बावड़ी	सरपंच, ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी	कम्भीर की बस्ती	100	0	100
20	गडरारोड	खलीफे की बावड़ी	सरपंच, ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी	शाहपीर का पार	200	0	200
21	गडरारोड	खलीफे की बावड़ी	सरपंच, ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी	मठारानी साउण्ड	100	0	100
22	गडरारोड	ताणु मानजी	सरपंच, ग्राम पंचायत ताणु मानजी	दूधोड़ा	200	0	200
23	गडरारोड	रावतसर	सरपंच, ग्राम पंचायत रावतसर	गोरालिया	100	0	100
24	गडरारोड	रावतसर	सरपंच, ग्राम पंचायत रावतसर	मेराणियों की बस्ती	100	0	100

गढ़रा  
रोड

25	गडरारोड	रावतसर	सरपंच, ग्राम पंचायत रावतसर	रावतसर	100	0	100
26	गडरारोड	रावतसर	सरपंच, ग्राम पंचायत रावतसर	लाम्बड़ा	100	0	100
27	गडरारोड	खबड़ाला	सरपंच, ग्राम पंचायत खबड़ाला	नोहडियालू	200	0	200
28	गडरारोड	खबड़ाला	सरपंच, ग्राम पंचायत खबड़ाला	कलसिंह की ढाणी	150	0	150
29	गडरारोड	खारची	सरपंच, ग्राम पंचायत खारची	गोरडिया	200	0	200
30	गडरारोड	तामलोर	सरपंच, ग्राम पंचायत तामलोर	मक्खन का पार	200	0	200
31	गडरारोड	खुडाणी	सरपंच, ग्राम पंचायत खुडाणी	गफन तलाई	100	0	100
				योग	3550	0	3550
				कुल योग	4410	90	4500

विभागीय पत्र क्रमांक 4180–203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें।

1. अमावस्या क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32–3 / 2013–NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
3. गत वर्षों में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालकों के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते हैं एवं सुबह –शाम पशुओं को लेकर जाते हैं। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं।
  - (i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।
  - (ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।
  - (iii) यदि पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।
  - (iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/- रुपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/-रुपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
  - (v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु—आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/- रुपये बड़े पशु तथा 5.50/- रु. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

- (vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफौड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।
- (vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्प्राइम सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
- (viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।
4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाएः-
- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
  - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
  - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
  - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
  - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
  - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
  - (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
  - (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
  - (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
  - (x) संस्था की स्थायी संचालन समिति के सदस्यों के नाम
  - (xi) बैंक जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
  - (xii) संस्था के प्रबन्धक/अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
  - (xiii) संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं
  - (xiv) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी
5. पशु शिविर अनुदान, शिविर खोलने के दिनांक से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा शिविर खोलने की अनुमति देने के दिनांक से, जो भी बाद में हो, दिया जाए।
6. पशु शिविर चलाने वाले स्वयं सेवी संस्था की स्थानीय संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
7. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएः—  
 क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर  
 ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर  
 ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर  
 घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
8. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का सहायता विभाग से अधिकृत किसी अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

9. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्था को भेज दी जाए।
  10. यदि किसी संस्था द्वारा संचालित शिविर की व्यवस्था, जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो ऐसे शिविर की व्यवस्था जिला कलेक्टर द्वारा अपने स्तर पर व्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की जाए।
  11. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्त के 7 दिन में किया जाये। इस प्रकार किये गये भुगतान में राशि कम या अधिक पाई जाने पर उसका समायोजन अगले पखवाड़े के हिसाब में किया जाये। यदि हिसाब चरण के पश्चात किया जावे तो संस्था को देरी के कारण लिखित में अंकित करने होंगे।
  12. किसी भी संचालक संस्था, जिसके माध्यम से पशु शिविर संचालित किये जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है तो उन संस्थाओं की जांच के निस्तारण उपरान्त इन संस्थाओं के प्रस्ताव स्वीकृत करें।
  13. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरान्त पशु बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टर को करें तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुशंसा से स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत प्रस्ताव इन कार्यालय को प्रेषित करें।
  14. जिला कलेक्टर सम्बन्धित पंचायत/संस्था का नाम अंकित कर स्वीकृति जारी करते समय स्थल का नाम भी अंकित करावें।
  15. स्वीकृत पशु शिविरों का मुख्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरक्षण/ विडियो ग्राफी की जा सकेगी। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।
  16. जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित पशु शिविरों के संचालन के लिए स्वीकृति जारी करते समय सम्बन्धित संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जाये। (संलग्न शपथ-पत्र का प्रारूप 10 रूपये नोन जूडिशियल स्टाम पेपर पर)
  17. 90 दिवस से अधिक अवधि के लिए संचालित किये जाने वाले पशु शिविरों हेतु प्रत्येक कार्यालय में पृथक-पृथक पत्रावलियां खोली जाएंगी एवं इससे सम्बन्धित अन्य रिकार्ड पृथक से संधारित करते हुए पृथक रिकार्ड व रजिस्टर भी खोले जायेंगे।
  18. 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु संचालित होने वाले पशु शिविरों पर होने वाला व्यय एसडीआरएफ नॉर्म्स के अन्तर्गत उसी सम्बन्धित बजट मद पर प्रभार्य किया जायेगा, जिस मद पर पूर्व में अभाव सम्भव 2071 में खरीफ फसल खराबे के समय किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लेखा संधारण पृथक से किया जायेगा एवं ऑनलाइन बजट भांग करते समय भी 90 दिवस से अधिक अवधि हेतु भांग होने का उल्लेख किया जाये।
- उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीप,  
१६/१५  
शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव पशुपालन विभाग एवं प्रबंध निदेशक, आरसीडीएफ, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
10. गार्ड फाईल।



शासन संयुक्त सचिव